

बिहार में 50 साल से अधिक उम्र वाले वृक्षों का DM करेंगे संरक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार राज्य के मुख्य सचिव आमरि सुबहानी ने सभी ज़िलाधिकारियों को पत्र लिखकर बिहार के वरिसत (हेरिटेज) वृक्षों को संरक्षित करने का निर्देश दिया है।

प्रमुख बिंदु

- बिहार के वरिसत में सभी प्रकार के 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुराने वृक्षों को शामिल किया गया है।
- मुख्य सचिव ने ज़िलाधिकारियों से अनुरोध किया है कि बिहार हेरिटेज ट्री एप के माध्यम से राज्य के वरिसत वृक्षों से संबंधित सूचनाएँ एकत्रित करने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। साथ ही, उन वृक्षों के संरक्षण के लिये आवश्यक कार्रवाई की जाए।
- वरिसत वृक्षों के संरक्षण के लिये बिहार हेरिटेज ट्री एप के माध्यम से बिहार राज्य जैवविविधता परिषद द्वारा एक डाटा बेस तैयार किया जा रहा है।
- इसमें जनप्रतिनिधि, छात्र, शक्तिषक, कृषि, पदाधिकारी, कर्मचारी, जैवविविधता प्रबंधन समिति के सदस्य सहित सभी लोग भाग ले सकते हैं। इन सभी को जैव विविधता के लिये प्रेरित किया जाए।
- साथ ही बिहार हेरिटेज ट्री एप के माध्यम से 50 वर्षों से अधिक पुराने वृक्षों की सूचनाएँ बिहार राज्य जैव विविधता परिषद के पोर्टल पर अपलोड की जा सकती हैं।